

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

फोन- 0651-2400981, फैक्स- 0651-2400982, ई-मेल-govjharkhandtourism@gmail.com, वेबसाईट : www.tourism.jharkhand.gov.in

सेवा में,

उपायुक्त,
गिरिडीह।

राँची, दिनांक02/07/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-5452-पर्यटन, अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत गिरिडीह जिलान्तर्गत बिरनी प्रखण्ड के डबरसैनी मंदिर के पर्यटकीय विकास हेतु सामुदायिक भवन का निर्माण हेतु अवशेष राशि कुल ₹ 20,09,202.00 (बीस लाख नौ हजार दो सौ दो रू०) मात्र के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 22, दिनांक - 20.07.2023 एवं उपायुक्त, गिरिडीह का पत्रांक 235/जि०खे०, दिनांक 13.05.2026

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश तथा प्रासंगिक पत्र के आलोक में राज्य योजना बजट मुख्यशीर्ष -5452- पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष -104- संवर्धन तथा प्रचार, उपशीर्ष -75- विभिन्न पर्यटक स्थलों का समेकित विकास एवं पर्यटन अवसंरचना विकास, विस्तृत शीर्ष -05- निर्माण, 45 - निर्माण कार्य (विपत्र कोड 46-S-5452-80-104-75-00-05-45) के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विषयांकित कार्य हेतु ₹ 20,09,202.00 (बीस लाख नौ हजार दो सौ दो रू०) आवंटित किया जाता है।

2. विषयांकित योजना हेतु आवंटित राशि एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति निम्नानुसार है-

प्रशासनिक स्वीकृत राशि	मापी के अनुसार संपादित कार्य की राशि	पूर्व का आवंटन	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन (III + V)
I	II	III	IV	V	VI
₹ 49,58,400.00	₹ 45,09,202.00	₹ 25,00,000.00	₹ 25,00,000.00	₹ 20,09,202.00	₹ 45,09,202.00

3. आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, गिरिडीह से की जायेगी।

4. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत राशि के अन्तर्गत निर्धारित समय-सीमा में कराया जाएगा तथा योजना पुनरीक्षण सामान्यतः नहीं किया जाएगा। अतिआवश्यक होने पर अपवाद की स्थिति में पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम स्तर से पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किया जायेगा।

5. इस राशि से किये गये कार्य के विरुद्ध नियमानुसार व्यय किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम निकासी नहीं की जायेगी।

6. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग से समय-समय पर निर्गत सुसंगत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

7. राशि का विचलन दूसरे मद में कदापि नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

8. ये सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

9. उपायुक्त, गिरिडीह योजना का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड को प्रेषित करते हुए इसकी एक प्रति विभाग को अनिवार्य रूप से ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

10. उपायुक्त, गिरिडीह समय – समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे तथा प्रत्येक माह, मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

11. प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

12. आवंटित राशि का व्यय नहीं होने की स्थिति में राशि के प्रत्यार्पण की सूचना 25 मार्च, 2027 तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

(मुकेश कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक – पर्यटन/यो० – 11/202315...../राँची, दिनांक.....02.07.2026...../

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी, गिरिडीह/सचिव, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Tourism Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - PAR/YO-11/2023/15

दिनांक - 02-Jul-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 46 54528010475000545 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 80 - सामान्य 104 - संवर्धन तथा प्रचार 75 - पर्यटक स्थलों का समेकित विकास एवं पर्यटन अवसंरचना विकास 00-NA 05 - निर्माण State Scheme	36924	GRDDAD026 RAMNIWAS YADAV DY. COMMISSIONER GIRIDIH 45 - निर्माण कार्य	2,009,202.00 रुपये बीस लाख नौ हजार दो सौ दो
	State Scheme : Central Scheme :	INTEGRATED DEVELOPMENT OF VARIOUS TOURIST PLACES(1882) NA		



योग: रुपये बीस लाख नौ हजार दो सौ दो
क्रमिक योग:

2,009,202.00

(MUKESH KUMAR)
SECRETARY